

## गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय (भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

## **CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

				·	हेतु अनुरोध iest Faculty				
क्रम सं. Sr.No.	नाम, पदनाम, स्थान Name, Designation, Place	अवधि Period		अतिथि संकाय/विशेषज्ञ की योग्यता	व्याख्यानों की संख्या	यूजीसी के दिशा-निर्देशानुसार मानदेय @ 1000 रुपये/ प्रति	कुल Total	बजट शीर्ष (रिक्त पद या अन्य	टिप्पणी Remarks
		से From	तक To	Qualification of the Guest Faculty / Expert	Number of Lectures	च्याख्यान Honorarium @ 1000/- as per UGC Guideline		बजट शीर्ष के लिए) Budget Head (Against Vacant post or other budget head)	
	वेत Proposed By:								